संख्याः– 641 /79–6–2010

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा (6) अनुभाग — लखनऊः दिनांकः 26 अप्रैल, 2010

विषयः'दैनिक अनुश्रवण प्रणाली' के माध्यम से मध्यान्ह भोजन योजना का अनुश्रवण।

महोदय,

प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या– 2053/79–6–2009, दिनांक 07.09.09 के माध्यम से प्रधानाध्यापकों के दायित्व निर्धारण संबंधी कतिपय निर्देश निर्गत किए गए हैं। चूंकि मध्यान्ह भोजन योजना एक महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील योजना है, अतः भोजन न बनने की स्थिति आदि में प्रधानाध्यापकों द्वारा इस संबंध में दी जाने वाली सूचना का संचरण सीधे जनपद मुख्यालय एवं प्रदेश मुख्यालय तक भी सम्भव हो, इस उद्देश्य से मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा योजना के सफल एवं सुगम अनुश्रवण के लिए 'दैनिक अनुश्रवण प्रणाली' की रचना कराते हुए इस प्रणाली के माध्यम से विद्यालयों से भोजन बनने की स्थिति अथवा भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या आदि की सूचना दैनिक स्तर पर प्रतिदिन लिए जाने का निर्णय लिया गया है।

'दैनिक अनुश्रवण प्रणाली' के अन्तर्गत इन्टरएक्टिव वॉयस रिस्पान्स सिस्टम (आई0वी0आर0एस0) के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक, अध्यापक अथवा शिक्षा मित्र को स्वतः फोन कॉल जायेगी, जिसके उत्तर में उनके द्वारा उस दिन विद्यालय में भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या को बताया जायेगा। इस हेतु प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक, अध्यापक अथवा शिक्षा मित्र को कोई भी व्यय नही करना होगा, क्योंकि फोन कॉल उनके द्वारा नही की जायेगी, बल्कि उनके पास आई हुई फोन कॉल का मात्र उत्तर ही देना होगा।

मध्यान्ह भोजन योजना की 'दैनिक अनुश्रवण प्रणाली' की सामान्य रूप--रेखा संलग्न कर **(संलग्नक–1)** इस आशय से उपलब्ध कराई जा रही है कि इस प्रणाली से जनपद स्तर पर मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन में संलग्न समस्त स्तरों को अवगत करा दिया जाये। कालान्तर में इस हेतु संबंधित जनों का प्रशिक्षण भी आयोजित किया जायेगा, जिसके लिए पृथक से आदेश निर्गत किए जायेंगे।

प्रणाली के संचालन हेतु विद्यालय/ब्लाक/जनपद स्तर से संबंधित कतिपय आवश्यक सूचनाएं संबंधित जनपद द्वारा **संलग्नक–2** के प्रारूप पर शासनादेश निर्गत होने की तिथि से

15 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से इन्टरनेट के माध्यम से www.upmdm.in पर ऑन–लाइन भरा जाना सुनिश्चित किया जाये, ताकि दैनिक अनुश्रवण प्रणाली का संचालन सम्भव हो सके।
संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0।
3. समस्त सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
4. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
5. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
6. समस्त लेखाधिकारी, उ0प्र0।

26/6/10

(रमेश चन्द्र घिल्डियाल)
संयुक्त सचिव

संलग्नक–1

मध्यान्ह भोजन योजना के अनुश्रवण हेतु 'दैनिक अनुश्रवण प्रणाली' की रूपरेखा

मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा आई0टी0 विभाग, उ0प्र0 शासन की संस्था यू0पी0 डेवलपमेन्ट सिस्टम्स कारपोरेशन (यू0पी0 डेस्को) के सहयोग से योजना के अनुश्रवण हेतु दैनिक अनुश्रवण प्रणाली का विकास कराया जा रहा है। इस प्रणाली के अन्तर्गत योजना से आच्छादित प्रदेश के विद्यालयों के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तरो में प्रतिदिन भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या इन्टरएक्टिव वॉयस रिस्पान्स सिस्टम (आई0वी0आर0एस0) के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय से दैनिक स्तर पर प्राप्त की जायेगी। इस प्रणाली के मुख्य लक्षण निम्नवत् है:–

1. प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक अथवा अध्यापक अथवा शिक्षा मित्र के मोबाइल टेलीफोन नम्बर पर यू0पी0 डेस्को संस्था द्वारा इन्टरएक्टिव वॉयस रिस्पान्स सिस्टम (आई0वी0आर0एस0) के माध्यम से एक पूर्व निर्धारित टेलीफोन नम्बर से स्व–संचालित टेलीफोन काल की जायेगी।
2. टेलीफोन काल प्रतिदिन मध्यान्ह भोजन बनने एवं बच्चों द्वारा ग्रहण कर लिए जाने के उपरान्त की जायेगी।
3. टेलीफोन काल के माध्यम से आने वाले संदेश में भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या भरने संबंधी संकेत दिए जाने के उपरान्त संबंधित अध्यापक को भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या अपने मोबाइल फोन के बटनों पर अंकित नम्बरों के माध्यम से की–इन (दर्ज) की जानी होगी।
4. संख्या की–इन करने के उपरान्त उस टेलीफोन काल के अन्तराल में ही की–इन की गई संख्या को संदेश में पढ़ा जायेगा। अध्यापक द्वारा संदेश मे अवगत कराई गई संख्या के सही या गलत होने की सूचना पुनः अपने मोबाइल फोन के बटनों पर अंकित नम्बर के माध्यम से की–इन करनी होगी।
5. की–इन की गई संख्या दैनिक अनुश्रवण प्रणाली से संबंधित यू0पी0 डेस्को के कम्प्यूटर सिस्टम मे सफलतापूर्वक दर्ज हो जाने के उपरान्त अध्यापक को उसी टेलीफोन काल के अन्तराल में ही यह संदेश सुनाई देगा कि उनके द्वारा दी गई सूचना का सही अंकन कर लिया गया है।
6. इस हेतु संबंधित प्रधानाध्यापक/अध्यापक/शिक्षा मित्र, जिनके द्वारा मध्यान्ह भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या दैनिक रूप से आई0वी0आर0एस0 पर उपलब्ध कराई जायेगी, उनको कोई व्यय नहीं करना होगा अर्थात् उनके प्री–पेड मोबाइल फोन से इस काल का कोई चार्ज वहन नही होगा एवं पोस्ट–पेड मोबाइल फोन में इस काल का कोई चार्ज देय नही होगा, क्योंकि यह काल अन्यत्र से उन्हें प्राप्त हो रही होगी, न कि उनके द्वारा किसी नम्बर पर काल किया जा रहा होगा।
7. मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण अथवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि द्वारा रैण्डम आधार पर विद्यालयों से उनके द्वारा आई0वी0आर0एस0 पर भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों के संबंध में की–इन की गई संख्या का सत्यापन एम0डी0एम0 रजिस्टर से किया जायेगा। अतः यह अपेक्षित है कि संबंधित अध्यापकों द्वारा वही संख्या आई0वी0आर0एस0 पर की–इन की जाये, जो उनके एम0डी0एम0 रजिस्टर में अंकित हो।
8. इस प्रणाली के माध्यम से मध्यान्ह भोजन योजना से संबंधित सूचना अध्यापकों द्वारा जनपद एवं मुख्यालय स्तर पर सीधे उपलब्ध कराया जाना सुलभ हो सकेगा एवं योजना की पारदर्शिता मे वृद्धि होगी।

संलग्नक–2

मध्याह्न भोजन योजना
दैनिक अनुश्रवण प्रणाली हेतु विद्यालयों के स्तर पर आवश्यक विवरण के संकलन के लिये प्रारूप

जनपद का नाम

ब्लॉक का नाम

1. विद्यालय का नाम

2. विद्यालय की श्रेणी : (प्राइमरी, अपर प्राइमरी, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट)

3. स्थान : (क्या विद्यालय शहरी या ग्रामीण क्षेत्र है और प्रासंगिक स्थान की सूचना दें)
   अ. शहर/टाउन एरिया का नाम (यदि शहरी क्षेत्र हो):
   ब. ब्लॉक, ग्राम पंचायत और ग्राम का विवरण (यदि ग्रामीण क्षेत्र हो)
      i. ब्लॉक :
      ii. ग्राम पंचायत :
      iii. ग्राम :

4. विद्यालय का पूरा पता:

5. विद्यालय का प्रकार:

कोड	प्रकार
1.	सरकारी
2.	नगर निकाय (बेसिक शिक्षा परिषद)
3.	सरकारी सहायता प्राप्त (बेसिक शिक्षा परिषद)
4.	ई0जी0एस0
5.	ए0आई0ई0
6.	नगर निकाय अन्य
7.	सरकारी सहायता प्राप्त अन्य
8.	सरकारी सहायता प्राप्त मकतब/मदरसा और तैतानिया स्तर
9.	एन0सी0एल0पी0 योजनान्तर्गत संचालित श्रमिक विद्यालय

6. कृपया विद्यालय स्टाफ के सम्पर्क नम्बर का विवरण भरें:–

अ. प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक

ब. शिक्षक जो विद्यालय में मध्याह्न भोजन की दैनिक के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे

स. सभी शिक्षामित्र

क्र.सं.	पद	नाम	मोबाइल नं0	कार्यालय का लैण्ड लाइन नं0 (यदि कोई हो तो)
1	प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक			
2	शिक्षक – 1 (जो विद्यालय में मध्याह्न भोजन की दैनिक के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे)			
3	शिक्षक – 2 (जो विद्यालय में मध्याह्न भोजन की दैनिक के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे)			
4	शिक्षामित्र – 1 (जो विद्यालय में मध्याह्न भोजन की दैनिक के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे)			
5	शिक्षामित्र – 2 (जो विद्यालय में मध्याह्न भोजन की दैनिक के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे)			

जिले मे मध्याह्न भोजन स्टाफ और बेशिक शिक्षा विभाग के लिये प्रोफार्मा
दैनिक नियंत्रण प्रणाली मूल आंकड़ा एकत्रीकरण

यह प्रोफार्मा मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर तैनात अधिकारियों और बेसिक शिक्षा विभाग के जिला स्टाफ के सम्पर्क नम्बर के विवरण से संबंधित है

जनपद का नाम –

अ.

जिला कार्यालय स्तर अधिकारी:

क्र.सं.	पद	नाम	मोबाइल नं0	कार्यालय का लैण्ड लाइन नं0	ई–मेल आईडी
1.	बेसिक शिक्षा अधिकारी				
2.	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी				
3.	मध्याह्न भोजन समन्वयक				
4.	कम्प्यूटर आपरेटर – मध्याह्न भोजन				

ब्लॉक स्तर अधिकारी

ब्लॉक का नाम

क्र.सं.	पद	नाम	मोबाइल नं0	कार्यालय का लैण्ड लाइन नं0	ई–मेल आईडी
1.	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी				
2.	बी0आर0सी0				

इसके बाद के संस्करण के लिये प्रत्येक ब्लॉक के लिये दोहराया जा रहा है

न्याय पंचायत स्तर अधिकारी:

ब्लॉक का नाम:

न्याय पंचायत का नाम:

क्र.सं.	पद	नाम	मोबाइल नं0	कार्यालय का लैण्ड लाइन नं0	ई–मेल आईडी
1.	एन0पी0आर0सी0				

इसके बाद के संस्करण के लिये प्रत्येक न्याय पंचायत के लिये ब्लॉक के लिए दोहराया जा रहा है